

पंचायत विविध संख्या : 315/2024  
 अनवान नरपतसिंह व अन्य बनाम पेमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती  
 राज. अधिनियम, 1994

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुयें
------------	---------------------------------	--

03/03/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उमयपन्न उप.।  
 पत्रावली मूल पत्रावली के साथ आयंदा दिनांक  
 24/03/2025 को पेश हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
 बाली, जिला-पाली

24/03/25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय  
 हस्ताल/कार्य स्थान पर हैं।  
 पेशी इतना एकर पत्रावली  
 दिनांक. 21/03/25 को पेश हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
 बाली, जिला-पाली

01/04/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उमयपन्न उप.।  
 पत्रावली मूल पत्रावली के साथ आयंदा दिनांक  
 08/04/2025 को पेश हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
 बाली, जिला-पाली

08/04/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उमयपन्न उप.।  
 पत्रावली मूल पत्रावली के साथ आयंदा दिनांक  
 15/04/2025 को पेश हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
 बाली, जिला-पाली

15/04/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उमयपन्न उप.।  
 पत्रावली मूल पत्रावली के साथ आयंदा दिनांक  
 23/04/2025 को पेश हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
 बाली, जिला-पाली

23/04/2025 वकूलाय उप. राज पीठासीन अधिकाारी ..... में पधार द्वारा उक्त निर्देशों के अनुक्रम  
 है। पत्रावली दिनांक..... से आंच हेतु माशवाड अवेशन  
 को पेश हो। पत्रावली आयंदा दिनांक 28/04/25  
 को पेश हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
 बाली, जिला-पाली

28/04/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अश्वरूपिपुत्र  
 उप.। अधिवक्ता के प्रकार से सम्बन्धित  
 मूल निर्णय 9.C.M.S. No 2024/394  
 स्वीकार होकर फैसल की जा चुकी है (P.T.O)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अलकाय जो इस हुकम की तामिल में जारी हुई
	<p> <del>                     कतः हात्गात प्राधनापग कतः धारा 97(2)                      मूल निगरानी कतः धारा 97(1) के कतिब                      निर्णय नकु ही संधारणीय होने से                      कतः कतिब गतः ही मूल निगरानी के अन्त                      निर्णय दिनांक 28/04/25 में कतः कतः                      निर्देशानुसार इमपक्ष और आलोच्य मूल                      पर कतिब प्रकाश का नया निर्णय नही                      करें और न ही अनाधिकृत करके का                      प्रपत्त करते हुए मूल के वि वतमान-1 कतिब                      में कोई परिवर्तन करे/पत्रावली के द्वारा                      शुभा होके दायिम दफ्तर की गी/                 </del> </p>	

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
वाली, जिला-पाली